परिशिष्ट "अ"
[14/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 1541]

Panchayat or Zila Panchayat as the case may be, any property vested in the State Government.

(2) The State Government may, resume any property vested in the Panchayat other under sub-section (1). No compensation other than the amount paid by the Panchayat for such transfer or the market value at the date of resumption of any building or works erected or executed on such property by the Panchayat shall be payable:

Provided that no compensation shall be payable in respect of building, structure or works constructed or erected in contravention of the terms and conditions of the vesting.

धारा 63. पंचायत को निधियों का समनुदेशन राज्य सरकार, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे, किसी भी पंचायत को राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संग्रहित ऐसे कर, पथ कर तथा फीस समनुदेशित कर सकेगी, और राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान दे सकेगी ।

Sec. 63. Assignment of funds to the Panchayat.- The State Government may assign to a Panchayat such taxes, tolls and fees levied and collected by the State Government and may make grant-in-aid from the consolidated fund of the State for such purposes and subject to such conditions and limits as the State Government may deem fit.

धारा 64. पंचायत को सहायता अनुदान-राज्य सरकार, पंचायतों को ऐसी सहायता अनुदान देगी, जैसा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चित किया जाए ।

Sec. 64. Grant-in-aid to Panchayat.- The State Government shall make grant-in-aid to the Panchayats as may be decided on the basis of recommendations of the State Finance Commission.

धारा 65. स्थावर संपत्ति का अंतरण (1) किसी पंचायत में निहित या पंचायत की किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान बंधक या विनिमय द्वारा या तीन वर्ष से अधिक कालावधि के लिए पट्टे द्वारा या अन्यथा कोई अंतरण, राज्य सरकार की उसके, द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) स्थावर संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

Sec. 65. Transfer of immovable property.- (1) No immovable property vested in or belonging to a Panchayat shall be transferred by sale, gift, mortgage or exchange or by lease for a period exceeding three years, or otherwise except with the sanction of the State Government or any officer authorised by it in this behalf.

(2) The procedure of transfer of immovable property shall be such as may be prescribed.

धारा 66. पंचायत निधि (1) प्रत्येक पंचायत, एक निधि स्थापित करेगी, जो पंचायत निधि कहलाएगी, और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ उक्त निधि का भाग होगी ।

(2) पंचायत में निहित समस्त संपत्ति और पंचायत निधि का इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजनों

उप संचालक
पंचायत राज, पंचायत

के लिए या साधारणतः पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्यय के लिए किया जाएगा, जो राज्य सरकार किसी पंचायत किसी पंचायत के आवेदन पर, या अन्यथा लोकहित में अनुमोदन करें । पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अधिसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी ।

(3) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय अधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिए पंचायत को आवंटित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में साधारणतः या विशेषतः जारी करें ।

[1][(4) पंचायत निधि में से समस्त रकमें

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से;

(दो) यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से, निकाली जाएगी

परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त रकमें केवल, वार्षिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएगी ।

परन्तु यह और भी कि पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण में संबंधित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी ।

[2][(5) * * * * *]

[2][(6) * * * * *]

66. Panchayat Fund.- (1) Every Panchayat shall establish a fund to be called the Panchayat Fund and all sums received by the Panchayat, shall form part of the said Fund.

(2) Subject to- the provisions of this Act and the rules made thereunder, all property vested in the Panchayat and the Panchayat Fund shall be applied for the purposes of this Act or for other purposes connected with activities for the development of Panchayats generally or for such other expenses as the State Government may approve on an application of Panchayat or otherwise in the public interest. The Panchayat Fund shall be kept in the nearest Government Treasury or Sub-Treasury or Post Office or Cooperative Bank or Scheduled Bank or its branch.

(3) An amount allotted to the Panchayat by the State Government or any other person or local authority for any specified work or purpose shall be utilised exclusively for such work or purposes and in accordance with such instructions as the State Government may either generally or specially issue in this behalf.

1. अधिनियम क्रमांक 43 सन् 1997 के द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 5-12-1997 से प्रवृत्त ।
2. अधिनियम क्रमांक 43 सन् 1997 के द्वारा विलुप्त । दिनांक 5-12-1997 से प्रवृत्त ।

उप सचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश